

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./बोर्ड/यो.गै.तक./77/2018-19/876
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/05/2018


अध्यक्ष/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति.....(समस्त)
जिला.....(म.प्र.)

विषय :- मंडी प्रांगण में कृषकों की भांति हम्माल एवं तुलावटियों को भोजन उपलब्ध कराने बाबत।

-000-

मंडी प्रांगण में कृषि उपज के विक्रय के लिये आने वाले कृषकों को 5/- रूपये प्रति थाली भोजन मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराये जाने की योजना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मंडी/प्रांगण/विविध/केन्टीन/45/48/3956 दिनांक 30.12.08 से लागू है जिसमें आंशिक संशोधन किया जाकर प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी (क्रियाशील) हम्माल एवं तुलावटियों को भी 5/- रूपये प्रति थाली भोजन मंडी प्रांगण में उपलब्ध कराया जावेगा। मण्डी समिति द्वारा भोजन कूपन जारी किये जायेगें, एक कूपन पर एक ही हम्माल/तुलावटी भोजन कर सकेगा। योजनान्तर्गत उसी हम्माल/तुलावटी को कूपन जारी किया जावेगा जो उस दिन मण्डी प्रांगण में कार्यरत है।


उक्त योजना पत्र जारी दिनांक से प्रभावशील होगी। योजना की शेष शर्तें यथावत रहेगीं।


प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक 21/05/2018

क./बोर्ड/यो.गै.तक./77/2018-19/877
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल.
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
3. अपर संचालक(समस्त)/प्रमुख अभियन्ता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)(म.प्र.), तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।


प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल